

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी कतिपय के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकाश विद्युत् केबल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 80 | दिनांक 08/12/2020

मार्थीया श्रीमती लतीका देवी खोला श्री तुलसीदास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No=114 ग्राम जोधपुर

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय स्वयंसेवा संख्या 335/25 आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14025/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/4340, 4341

दिनांक 08/12/2020 को जमा करा दी है ।

9/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Sansar
9/12/20

9413247650

जी + 1

आवासीय